

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी. सी.-12 वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ।

पं० सं० : 27719 / 32 / 2018 / 22


दिनांक : 27-7-18

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 26-07-2018 को सम्पन्न हुई बोर्ड की 101वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-101.03 पर प्रदान की गयी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, राज्य के समस्त लाल, नारंगी व हरी श्रेणी के उद्योगों को उत्प्रवाह के निस्तारण एवं उत्सर्जन हेतु कलैण्डर वर्ष में माह दिसम्बर तक निर्गत सहमति के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन एक साथ प्राप्त हो जाने के कारण उद्योगों के सहमति आवेदन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के दृष्टिगत सहमति समाप्ति की अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क० सं०	उद्योग की श्रेणी	सहमति वैधता माह
1.	लाल	दिसम्बर के अन्त तक
2.	नारंगी	जुलाई के अन्त तक
3.	हरी	मार्च के अन्त तक


उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

  
(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

पृ० सं० एवम् दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष महोदया के निजी सहायक।
- 2- समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय / समस्त क्षेत्रीय अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी)।
- 3- वेब मास्टर, बोर्ड मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
- 4- गार्ड फाईल।

  
(डा० अखलाक हुसैन)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा०)